COURT FEE Rs.10 TEN RUPEES CANCELLED

(2)

cf 10/-

न्यायालय श्रीमान् अति कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर (म0प्र0)
श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय ग्वालियर म0प्र0
I/निगरानी/सागर/भू.रा/2018/1532

1- कुन्दनसींग पिता निरपतसिंह आयु 75 साल

2- रामेश्वर बल्द हरीसींग आयु 20 साल

3- प्रीतमसींग बल्द हरीसींग

4- हरीसींग बल्द कुन्दनसींग,

सभी निवासी ग्राम लक्ष्मनपुरा मौजा जलंधर,

तहसील वा जिला सागर म0 प्र0

रिवीजनकर्ता
---- आवेदकगण

B.O.R.
08 FEB 2018

श्री ... द्वारा प्रस्तुत
कार्यालय ... सागर संभाग, सागर (म.प्र.)

॥ बिरूद्ध ॥

1- जगतसींग बल्द निरपतसींग

निवासी बिसराई थाना पठारी तह. कुरवाई.

जिला विदिशा (म0प्र0)

2- म0 प्र0 शासन

----- उत्तरदाता

रिवीजन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

रिवीजनकर्ता निम्न प्रार्थना करता है:-

34
23/02/18

(1) यह कि यह रिवीजन आवेदन पत्र आवेदक द्वारा माननीय अधि. न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्रमांक- 167-अ-6 बर्ष 13-14 मे पारित आदेश दिनांक 16-1-18 से परिवेदित होकर यह रिवीजन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

(2) यह कि अधिनस्थ न्यायालय के आदेश विधि संगत न्याय संगत एवं भू. रा. सं. मे बने प्रावधानो के विपरीत होने के कारण स्थिर योग्य नही है. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि - प्रश्नाधीन भूमि मौजा जलंधर ख.नं. 1212, 1947 में रकवा 1.18, 0.7 हे. एवं मौजा पीपलखेड़ी मे 5.39 हे. भूमि शामिल शरीक राजस्व अभिलेख में अंकित है उक्त भूमि रिवीजन कर्ता को पारीवारिक व्यवस्था पत्र के आधार पर प्राप्त हुई थी. जिस पर वह कई बर्षो से काबिज चला आ रहा है। जिसके सम्बंध मे आवेदक ने तहसीलदार राहतगढ के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया था. जिसमें अनावेदक का नाम पृथक किए जाने हेतु सहायता चाही थी. प्रकरण मे पटवारी हल्का

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2018/1532 **जिला** - सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06/03/2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी ने अपनी अपील के साथ धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है इस कारण अपील अवधि वाह्य मानकर निरस्त की है। जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में करते हुए अपील निरस्त की है। उक्त तथ्यों के आधार पर अपर आयुक्त के आदेश में प्रथम दृष्टया कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	